



# झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची-824004

## सूचना

एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य में स्थापित सभी औद्योगिक इकाईयों / प्रतिष्ठानों जैव चिकित्सीय एवं खतरनाक अपशिष्टों के संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को पुनः अवगत कराया जाता है कि झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, राँची द्वारा निम्न श्रेणी के वर्णित प्रतिष्ठानों / इकाईयों के संचालन हेतु 1, 2, 3, 4 एवं 5 वर्षों के लिये सहमति आदेश दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

Identified Grossly polluting Industry (Red Hazardous Category) के Fresh Consent to Operate के लिए 1 वर्ष एवं Renewal of Consent to Operate के लिए 2 वर्ष, Red major polluting category Group-A and B के Fresh Consent to Operate के लिए 1 वर्ष एवं Renewal of Consent to Operate के लिए 3 वर्ष, Orange Category Industry के Fresh Consent to Operate के लिए 2 वर्ष एवं Renewal of Consent to Operate के लिए 4 वर्ष तथा Green category Industry के Fresh Consent to Operate के लिए 5 वर्ष एवं Renewal of Consent to Operate के लिए 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। अतः उक्त श्रेणी की इकाई जिन्होंने पूर्व में निर्गत Consent to Operate आदेश के सभी शर्तों का पालन कर लिया है, वे उपरोक्त निर्धारित अवधि के लिए, वर्तमान दर पर वर्षवार सहमति शुल्क जमा कर सकते हैं अन्यथा पूर्व की भाँति एक वर्ष के लिए ही सहमति आदेश निर्गत किये जायेंगे।

अत्यन्त प्रदूषित इकाई, जिनके विरुद्ध आरोप एवं शिकायत प्राप्त होते रहते हैं उन्हें एक वर्ष के लिए ही सहमति प्रदान किया जायेगा।

(एस के सिन्हा)

सदस्य सचिव

H